भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-429
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार

429# श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने युवाओं को नौकरियाँ देने का वादा किया गया है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने युवाओं को नौकरियाँ प्रदान की गई:

(ग) क्या यह सच है कि कोरोना संकट के पश्चात् बेरोजगारी बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो गांवों और शहरों में बेरोज़गारी की दर कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा युवाओं को प्रतिवर्ष दो करोड़ रोज़गार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जो कि वेतन रोजगार हेतु नियोजन आधारित कौशल विकास कार्यक्रम है किसी प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने तथा अपना उद्यम आरंभ करने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास तथा कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार घटकों के साथ तथा लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यमों अथवा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना शहरी निर्धनों के व्यक्तियों/समूहों/एसएचजी हेतु सहायता के लिए तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं, योजना-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	सृजित रोजगार
1	2016-17 से 2020-21 (31.08.2020 तक) के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या	**2025728**
2	2016-17 से 2020-21 (08.09.2020 तक) के दौरान एमजीएनआरईजीए के तहत सृजित मानव दिवस (संख्या करोड़ में)	**1199.01**
3	क. 2016-17 से 2020-21 (अगस्त, 2020 तक) के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या) ख. आरएसईटीआई के तहत नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या	**534278** **1593109**
4	वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	**5,23,759**
	वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत व्यक्तिगत/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए लाभार्थियों की संख्या	**5,08,026**
	वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी को वितरित की गई ऋण की संख्या	**5,33,101**

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, इसके प्रारंभ से, 04.09.2020 की स्थिति के अनुसार 25.32 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण विस्तारित किया गया है जो कि 12.91 लाख करोड़ रुपए है, विस्तारित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का आरंभ हुआ था। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 14 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो चुका है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जाने तथा इस अवधि के दौरान भारत में रोजगार की हानि भी देखी गई है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, , व्यवस्था उत्साहित जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****